न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 93/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामप्रकाश पुत्र नरपतराम जाति जाट निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर।		राज. सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रामेश्वर भादू अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 21.06.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 163/2017 सरकार बनाम रामप्रकाश में निर्णय दिनांक 23.10.17 के तहत मौजा भाकरोद के खसरा नं. 598 रकबा 1.10 बीघा गै.मु. रास्ता, खसरा नं. 590 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. अंगौर, खसरा नं. 596 रकबा 0.07 बीघा गै.मु. बारानी–2 कुल 2 बीघा भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.11.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.11.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–निर्णय जैर अपील विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब करने के लिये आदेशिका लिखी गई है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने और तामील होने के संबंध में कोई संतोषप्रद कारण नही था तथा उक्त नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से नही दिये जाने और तथाकथित उसकी दादी कंवराई अपीलांट के साथ रहने और रहने के संबंध में कोई प्रमाण नही होने के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्व उक्त नोटिस तामील मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक विधि के सिद्वान्तों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट के विरूद्व उक्त तामील गलत प्रकार से मानी है एवं इस आधार पर अपीलांट के विरूद्व पारित एकपक्षीय आदेश व निर्णय इस आधार पर भी निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के विरूद्व उक्त आवेदन में वर्णित आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य तक नही थी, केवलमात्र पटवारी के आवेदन को ही सही मानकर उसके आधार पर निर्णय पारित करना पूर्णतया पूर्वाग्रह से ग्रसित स्थिति को दर्शित करता है, जबकि अपीलांट के द्वारा ऊपर वर्णितानुसार अतिक्रमण करने के संबंध में कोई ठोस व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई थी। जिससे भी उक्त निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट के विरूद्व संस्थित उक्त प्रकरण में अपीलांट को कोई नोटिस कभी भी प्राप्त नही हुआ एवं अपीलांट के खिलाफ गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है एवं अपीलांट को उक्त प्रकरण में जवाब, साक्ष्य, सबूत के विधिक अवसर से वंचित किया गया है, जबकि विधि अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित करने से पूर्व उसको युक्तियुक्त एवं पर्याप्त अवसर जवाबदेही, साक्ष्य, सबूत के लिये दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार न्यायोचित था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट के सह कब्जे काश्त व सह खातेदारी की भूमि अन्य खसरान के अलावा खेत खसरा नं. 874, 875 ग्राम भाकरोद तहसील व जिला नागौर में स्थित है। उक्त खसरान की भूमि के दक्षिणी पूर्वी तरफ खसरा नं. 598 गै.मु. रास्ता आया हुआ है। अपीलांट के खातेदारी के खेत के दक्षिणी–पूर्वी सीमा

अपर कलक्टर, नागौर

पर सैकडों वर्ष पुरानी पत्थरों की दीवार आई हुई है और उसके बाद खसरा नं. 598 गै.मु. रास्ता की भूमि स्थित है एवं रास्ते के दक्षिणी तरफ सरकारी भूमि खसरा नं. 589, 590, 596 आदि स्थित है। अपीलांट अपनी उक्त सह खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर वर्षो पुरानी सींवे दीवार कायम है व उत्तरी तरफ सडक की भूमि है तथा अपीलांट के उक्त सह खातेदारी की भूमि के दक्षिणी पूर्वी तरफ रास्ते की स्थिति वर्षो पुरानी स्थिति अनुसार चली आ रही है। परंतु रेस्पोडेन्ट के द्वारा राजनैतिक प्रभाववश अपीलांट को गलत प्रकार से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत गलत नोटिसबाजी व उसके आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है।

{2}(VI)–अपीलांट अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर ही काबिज है परंतु रेस्पोडेन्ट के द्वारा गलत नोटिसबाजी करके खसरा नं. 598, 590 व 596 की भूमि पर अतिक्रमण करने के गलत आरोप लगाये है। राजस्व नक्शे के अनुसार खसरा नं. 596 व 590 की भूमि और अपीलांट के खातेदारी की भूमि के बीच में रास्ते की भूमि आ रही है। यदि अपीलांट के द्वारा उक्त खसरा नं. 590 व 596 पर अतिक्रमण किया जाता है, तो निश्चित तौर पर खसरा नं. 598 गै.मु. रास्ते की पूरी भूमि पर अतिक्रमण किया जायेगा। परंतु मौके पर रास्ते की भूमि वर्षो पुरानी स्थिति अनुसार चली आ रही है, जिससे स्पष्ट है कि मौके पर सदीन काल से चला आ रहा रास्ता उसी अनुसार चलता आ रहा है, जिसमें कोई अतिक्रमण अपीलांट के द्वारा नही किया गया है एवं उक्त रास्ते के उत्तरी तरफ अपीलांट अपने सह कब्जे काश्त व सह खातेदारी की भूमि पर काबिज है और मौके पर वर्षो पुरानी दीवार होने के आलामात भी स्पष्ट है। जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट के द्वारा कोई अतिक्रमण, कब्जा आदि नही किया गया है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भाकरोद में स्थित गै.मु. रास्ता, अंगौर, बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भाकरोद के खसरा नं. 598 रकबा 1.10 बीघा गै.मु. रास्ता, खसरा नं. 590 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. अंगौर, खसरा नं. 596 रकबा 0.07 बीघा गै.मु. बारानी–2 कुल 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि है तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है। जहां तक प्रकरण में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के प्रकरण सं. 132/17 रामप्रकाश बनाम सरकार में टीआई का जवाब पेश होने तक विधिक प्रक्रिया का पालन कर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तथा सम्यक तौर पर मौके पर नाप चोप की कार्यवाही के पश्चात सक्षम आदेश पारित किये बगैर प्रार्थी की विवादित दीवार में हस्तक्षेप नही करने का आदेश है। उक्त आदेश वर्तमान में प्रभावी है अथवा नही, इस संबंध में कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही हुए है। अधीनस्थ न्यायालय उक्त आदेश प्रभावी होने की स्थिति में पालना हेतु स्वतः ही दायित्वधीन है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय भौतिक बेदखली से पूर्व उक्त न्यायालय में संबंधित प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं उसमें पारित आदेश आदि को ध्यान में रखते हुए ही समुचित कार्यवाही करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर